12.10.2020	वकील फरीकेन उपस्थित। पत्रावली में निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली में शामिल किया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर होकर मूल दावा पत्रावली में शामिल रहे।

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2020.11.11 16:18:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी करौली

मुकदमा नं. 78 / 02 जी.सी.एम.नं. 2002 / 00034 तारीख रजु 17–6–2002

पीठासीन अधिकारी – श्री देवेन्द्र सिंह परमार R.A.S.

निर्णय दिनांक 12–10–2020

उनवान

1– अ0 वहीद पुत्र अ0 हबीब जाति मुसलमान निवासी चटीकना करौली

2– अ0 सईद पुत्र अ0 हबीब जाति मुसलमान निवासी चटीकना करौली

–सायलान

बनाम

1– अ0 समी पुत्र हमीद खॉ जाति मुसलमान – फौत निवासी मीरों की मस्जिद के पास, चटीकना, करौली

1 / 1– रहमत खातून पत्नी अ0 समी जाति मुसलमान निवासी मीरों की मस्जिद के पास, चटीकना, करौली

1 / 2– रफीका खातून पुत्री अ0 समी जाति मुसलमान निवासी मीरों की मस्जिद के पास, चटीकना, करौली

1 / 3– अहसान खॉ पुत्र अ0 समी जाति मुसलमान निवासी मीरों की मस्जिद के पास, चटीकना, करौली

1 / 4– अताउर्रहमान उर्फ चुन्नू पुत्र अ0 समी जाति मुसलमान निवासी मीरों की मस्जिद के पास, चटीकना, करौली

1 / 5– मोहम्मद सफीक पुत्र अ0 समी जाति मुसलमान निवासी मीरों की मस्जिद के पास, चटीकना, करौली

1 / 6– सकीला खातून पुत्री अ0 समी पत्नी इनायत खॉ जाति मुसलमान निवासी खासौली जिला– चूरू

1 / 7– शबाना खातून पुत्री अ0 समी पत्नी इकबाल जाति [illegible] निवासी पावर हाउस के पास, छाबी रोड़, गंगवाना पुलिस थाना गैं[illegible] जि[illegible] अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2020.11.11 16:18:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

(2/7)

1/8– आशीका खातून पुत्री अ0 समी पत्नी रफीका जाति मुसलमान निवासी मीरों की मस्जिद के पास, चटीकना, करौली

1/9– शमशीदा खातून पुत्री अ0 समी पत्नी मौ0 उमर जाति मुसलमान निवासी मीरों की मस्जिद के पास, चटीकना, करौली

2– अमानुल्ला पुत्र हमीद खॉ – फौत जाति मुसलमान निवासी हरदैनिया गली, चटीकना, करौली

2/1– इनाम पुत्र उमानुल्ला खॉ जाति मुसलमान निवासी हरदैनिया गली, चटीकना, करौली

2/2– अनवर उल्लाह पुत्र उमानुल्ला खॉ जाति मुसलमान निवासी हरदैनिया गली, चटीकना, करौली

2/3– जिया उल्लाह खॉ पुत्र उमानुल्ला खॉ जाति मुसलमान निवासी हरदैनिया गली, चटीकना, करौली

2/4– जाकिर उल्ला खॉ पुत्र उमानुल्ला खॉ जाति मुसलमान निवासी हरदैनिया गली, चटीकना, करौली

2/5 नासिर पुत्र उमानुल्ला खॉ जाति मुसलमान निवासी हरदैनिया गली, चटीकना, करौली

2/6– अब्बास खातून पत्नी उमानुल्ला खॉ जाति मुसलमान निवासी हरदैनिया गली, चटीकना, करौली

3– महमूद पुत्र अ0 हमीद जाति मुसलमान निवासी हरदैनिया गली, चटीकना, करौली

4– अ0 सईद पुत्र अ0 सलाम जाति मुसलमान निवासी चटीकना करौली

5– अ0 रहमान पुत्र अ0 सलाम निवासी चटीकना करौली

6– अमजद पुत्र अ0 सलाम जाति मुसलमान निवासी चटीकना करौली

7– अनवरी उर्फ मटल्लो बेवा सलाम जाति मुसलमान निवासी चटीकना करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2020.11.11 16:18:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

8– भूरिया पुत्र शकूर जाति मुसलमान निवासी चटीकना करौली

9– कालू पुत्र शकूर – फौत जाति मुसलमान निवासी करौली

–गैरसायलान

निर्णय दिनांक :– 12/10/2020

वादीगण सायलान की ओर से दावा बावत् घोषणा दुरस्ती इंद्राज व हुक्म इम्तनाई दवामी की दादरसी का पेश किया गया है। जिसमें वादीगण सायलान की ओर से यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। जिसमें सायलान को सुना जाकर दिनांक 7/8/1993 को गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से अदालत द्वारा पाबन्द किया गया तथा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को तलब किया गया। हमने उभय पक्षकारानों के वकीलों की बहस सुनी। वकील सायलान ने निवेदन किया कि आराजी खसरा नं. 4265, 4270, 4271, 4272, 4273, 4274, 4275, 4266, 4269 बांके कस्बा करौली सायलान व सायलान के पिता अब्दुल हबीब के जैर खाता व कब्जे की रही है। अब्दुल हबीब से पूर्व हमारे दादा अब्दुल मजीद इन नम्बरान के खातेदार काश्तकार थे। खसरा नं. 4265, 4270, 4273, 4275 बावत् उप जिलाधीश जागीर ने इन नम्बरान को दिनांक 13/7/1961 के फैसले में इन नम्बरान को सायलान के पिता अब्दुल हबीब पुत्र अब्दुल मजीद की निजी सम्पत्ति जागीरदारी की दीगर कागजात में माना, अलाउद्दीन, निजामुद्दीन एवं मामू का कोई हक नहीं माना। गैरसायलान का पिता व बाबा अब्दुल हमीद चालाक व्यक्ति था। उसके लोगों से ताल्लुक थे। उसने अब्दुल हबीब से छिपाकर रेवेन्यू वालों से साज कर 4265, 4270, 4273, 4275 का नामान्तकरण पंजिका के कॉलम नं. 11 में अब्दुल हमीद पुत्र अब्दुल मजीद

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2020.11.11 16:18:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

फर्जी तौर पर लिखा लिया। आराजीयात खसरा नं. 4266, 4272, 4271, 4269 भी सायलान की कब्जेकाश्त की है। इसमें गैरसायलान ने साजिशी तौर पर सायलान व सायलान के पिता से छिपाकर खातेदारी इन्द्राज अपने नाम करा लिये जबकि पूर्व में तमाम इन्द्राज सायलान के पिता के हैं। खसरा नं. 4274 बांके कस्बा करौली में भी सायलान का 1/4 हिस्सा निहित है। गैरसायलान का विवादित जमीनों से कोई ताल्लुक नहीं है। फर्जी पेपर एंट्री के आधार पर सायलान को बेदखल करने पर तुले हुए हैं और फसल को बर्बाद करने और जबरन बेदखल करने व विवादित जमीनों में दुकान खुलवाने व दीगर लोगों को दुकानें खोलने को खोखे रखने को व किराये पर देने की धमकी दे रहे हैं। इसलिए दौराने दावा गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया है। गैरसायलान के वकील द्वारा उक्त सभी तथ्यों को गलत बताते हुए निवेदन किया है कि विवादित जमीन से सायलान का कोई ताल्लुक नहीं है। गैरसायलान के बुजुर्ग अब्दुल हमीद की निजी सम्पत्ति है। जागीर कलेक्टर ने दिनांक 18/7/1961 अब्दुल हमीद की निजी सम्पत्ति घोषित की है। हम ही काबिज चले आ रहे हैं। हमने मालियों से भी मुकदमा लड़ा। इसलिए दर0 सायलान खारिज की जावे।

सायलान की ओर से दस्तावेज जमाबंदी सम्वत् 2040 से 51, सजरा, सैटिलमेंट जमाबंदी सम्बत् 2015 की नकल, खसरा नं. 4274 की जमाबंदी की नकल 2023 से 2026, नकल नामान्तकरण सं. 64, नकल अर्जी दावा उनवानी नथुआ बनाम अब्दुल हमीद, नकल निर्णय नथुआ बनाम मजीद, नकल डिक्री नथुआ बनाम अब्दुल मजीद, नकल निर्णय आर.ए.ए.,कोटा, नकल डिक्री आर.ए. ए.,कोटा, नकल जमाबंदी सम्वत् 2023 से 2026 कस्बा क[illegible] ज[illegible]ंदी कस्बा

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2020.11.11 16:18:12 IST
Reason: SelfAttested
Scanned with CamScanner

करौली सम्वत् 2035 से 2038, नकल जमाबंदी ग्राम ससेड़ी सम्वत् 2023 से 2026, नकल जमाबंदी सम्वत्2023 से 2026 ग्राम अतेवा, नकल जमाबंदी सम्वत् 2023 से 2026 ग्राम अतेवा, सहमति पत्र पक्षकारान दिनांक 24/8/2007, उपजिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर दिनांक 12/10/2011, पंजिका कार्यालय सहायक लोक सूचना अधिकारी व उप जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर दिनांक 19/10/2011, पत्र दिनांक 4/11/2011 जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर, प्रार्थना पत्र अब्दुल वहीद वास्ते लोक सूचना अधिकारी बावत् दिये नकल निर्णय डिक्री पेश किये गये हैं तथा गैरसायलान की ओर से आदेश दिनांक 18/7/1961 जागीर कलेक्टर पेश किया गया है तथा शपथ पत्र अब्दुल लतीफ, अब्दुल कादर, बद्रीलाल, मु0 जुम्मी के पेश किये हैं। शपथ पत्रों के विरोध में दिनांक 8/2/2019 को सायलान की ओर से प्रार्थना पत्र पेश किया है कि उक्त गवाहों द्वारा कोई शपथ पत्र पेश नहीं किये हैं, फर्जी शपथ पत्र हैं सन् 1993 के तस्दीकशुदा शपथ पत्र अदालत में पेश किये हैं। गवाह अब्दुल लतीफ के फौत होने पर फर्जी शपथ पत्र पेश किया है। अब्दुल लतीफ हस्ताक्षर करता था। 1991 में प्रतिवादी मु0 अब्बास खातून को रजिस्ट्री करायी है, जिस पर अब्दुल लतीफ के हस्ताक्षर हैं। अब्दुल कादर व बद्री के सही शपथ पत्र पेश किये जा रहे हैं। इसीप्रकार मु0 जुम्मी का शपथ पत्र भी फर्जी है। तथा प्रार्थना पत्र के साथ गैरसायलान द्वारा प्रस्तुत गवाह अब्दुल कादर, बद्रीलाल के शपथ पत्र भी पेश किये हैं।

हमनें उभय पक्षकारानों के वकीलों की बहस पर मनन किया व पूरी पत्रावली का अवलोकन किया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2020.11.11 16:18:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

1– प्रथम दृष्टया केस :– सायलान द्वारा प्रस्तुत सजरे के अनुसार अब्दुल हमीद अब्दुल रज्जाक उर्फ अज्जू का पुत्र है तथा अब्दुल हबीब के पिता का नाम अब्दुल मजीद दर्ज है। पक्षकारान एक ही परिवार के सदस्य हैं। जमाबन्दी सम्वत् 2015 के अनुसार विवादित जमीनें सहखातेदारी की खुदकाश्त की दर्ज हैं। सायलान की ओर नामान्तकरण सं. 64 विवादित जमीनों के सम्बन्ध में पेश किया है। उसमें खाना सं. 11 में अब्दुल हमीद खॉ पुत्र अब्दुल मजीद दर्ज है, जबकि नामान्तकरण फैसले में अब्दुल हमीद की जगह अब्दुल हबीब पुत्र अब्दुल मजीद दर्ज किया है तथा ग्राम ससेड़ी व अतेवा की जमाबन्दियों में अब्दुल हमीद के पिता का नाम अब्दुल रज्जाक दर्ज है। इसके अलावा दिनां 24/8/2007 की एक तहरीर भी पेश की गयी है जिसमें विवादित जमीन मस्जिद आदि की व्यवस्था के लिए कमेटी बनायी गयी है। गैरसायलानों की ओर प्रस्तुत शपथ पत्रों के विरोध में सायलान द्वारा शपथ पत्र पेश किये गये हैं। नामान्तकरण सं. 64 आदेश दिनांक 13/7/1961 के अनुसार भरा जाना प्रतीत होता है। इनके अलावा भी सायलान की ओर से अन्य दस्तावेज भी पेश किये गये हैं जिनके आधार पर पक्षकारों के हकूक दावे में तय होने हैं जो दोनों पक्षों की साक्ष्य लेकर तय किये जाने हैं। दावे के निर्णय तक विवादित आराजी के सम्बन्ध में सायलान के हकूकों को प्रोटेक्ट किया जाना आवश्यक है। उक्तानुसार सायलान का प्रथम दृष्टया केस साबित है।

2– अपूर्णनीय क्षति :– उक्त विवेचन के अनुसार सायलान का प्रथम दृष्टय केस माना जा चुका है। खातेदारी के हकूक दावे में तय होने हैं। दौराने दावा विवादित जमीन व जायदाद की स्थिति नहीं बदले ... को सुरक्षित

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2020.11.11 16:18:12 IST
Reason: SelfAttested
Scanned with CamScanner

रखा जाना आवश्यक है। यदि गैरसायलान को पाबन्द नहीं किया गया तो सायलान को अपूर्णनीय क्षति होगी।

3– सुविधा का सन्तुलन :– उक्त विवेचन के अनुसार सुविधा का सन्तुलन भी सायलान के पक्ष में है।

अतः प्रार्थना पत्र सायलान आंशिक स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्षकारान को दावे के निर्णय तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह विवादित आराजीयात खसरा नं0 4256, 4270, 4271, 4272, 4273, 4274, 4275, 4266, 4269 बांके कस्बा करौली की मौके व रिकॉर्ड की स्थिति यथावत रखे एवं जमीन को रहन वय नहीं करें। पत्रावली फैसलसुमार होकर हमफीता दावा रहे।

निर्णय आज दिनांक 12.10.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(देवेन्द्र सिंह परमार RAS)
उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)
उपखण्ड अधिकारी
करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2020.11.11 16:18:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner